भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2685
2 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों द्वारा ठगी गई धनराशि

2685. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा ठगी गई धनराशि और तत्संबंधी सहकारी समितियों के नामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

एक राज्य के सदस्यों वाली सहकारी समितियाँ संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और संबंधित राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित होती हैं। बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों सहित, ऐसी समितियाँ जो की राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, का विवरण संबंधित राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा रखा जाता है।

एक से अधिक राज्यों के सदस्यों वाली, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों सहित, सहकारी समितियां बहु राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत होती हैं। बहु राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 1509 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी स्वायत्त सहकारी संगठनों के रूप में कार्य करती हैं । जब कभी भी किसी बहुराज्य सहकारी समिति के विरुद्ध बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम या नियमों के उल्लंघन या परिपक्वता पर जमाराशियों के गैर-भुगतान की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है । बहुउद्देश्यीय बहुराज्य सहकारी समितियों के मामले में, निम्नलिखित के विरुद्ध परिसमापन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।:

1. समृद्धा जीवन मल्टी स्टेट मल्टी-पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
2. एसपी ग्लोबल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
3. लक्ष्य मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बठिंडा, पंजाब
4. द हैप्पी फ्यूचर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु
5. जनलक्ष्मी मल्टीपर्पज सहकारी समिति लिमिटेड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

****